न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2014-00052Jodhpur2014-83RTA225 Tulsidas Vs Bhanwaridevi etc

तुलसीदास पुत्र उत्तमाराम जाति मेघवाल, निवासी-
चांदसमा तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. भवंरी देवी पत्नी भोजाराम जाति मेघवाल, निवासी-
   घंटियाली तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. चुतराराम पुत्र मिश्राराम
3. थुड़ी देवी पत्नी मिश्राराम जाति मेघवाल, निवासी
   खिरजा खास, हाल निवासी- बालेसर दुर्गावता
   तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 30 सितंबर 2014 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 33/2014 तुलसीदास बनाम भंवरीदेवी इत्यादि

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 05 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 33/2014 तुलसीदास बनाम भंवरीदेवी इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 30 सितंबर 2014 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 अक्टूबर 2014 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स ने एक वाद अन्तर्गत बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 227/19 रकबा 25 बीघा ग्राम लालपुरा (चांदसमा) तहसील शेरगढ के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षकारों की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 सितंबर 2014 को पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। शेष रेस्पो. बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत के प्रार्थना पत्र पर बहस सुने बिना पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को निष्प्रभावी करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से ही आदेश जल्दबाजी में पारित किया जाना मालुम पड़ता है। आदेशिका में आदेश दिनांक 23.09.2014 को लिखा गया है तथा पीठासीन अधिकारी ने अपने हस्ताक्षरों के नीचे तारीख 30.09.2014 लिखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा मे निर्धारक तीनों बिंदुओं पर कोई विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जो निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त भूमि अपीलांट द्वारा स्व. मिश्राराम से दिनांक 05.07.2005 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हैं। मिश्राराम अपीलांट का पड़ोसी था तथा उसने बेचान की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दे रखा था, लेकिन अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण अपीलांट अपनी खरीदसुदा भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवा सका। इसी दरम्यान मिश्राराम का देहांत हो जाने से वादग्रस्त भूमि नामांतरकरण संख्या 218 के जरिये उसके वारिसान् रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन के नाम दर्ज कर दी गई। रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन द्वारा प्रलोभन में आकर वादग्रस्त भूमि बिना कब्जे के रेस्पोडेंट संख्या एक को बेचान कर दी। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पड़ोसियों के शपथ-पत्रों एवं विवादग्रस्त भूमि की फसल की फोटो इत्यादि के साक्ष्य पेश कर अपने केस को बखूबी साबित किया था। विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को खारिज कर दिया। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 सितंबर 2014 को निरस्त किया जाकर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रत्यर्थीगण को तादावा फेसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे खसरा नं. 227/19 रकबा 25 बीघा मौजा लालपुरा पर अपीलांट के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त एवं उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रसीद दिनांक 05.07.2005 जो सादे कागज पर लिखी गई है। उक्त रसीद में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 227/19 का बेचान मिसाराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल द्वारा 20,000/- रूपये नकद प्राप्त कर कब्जा अपीलांट को सौपकर बेचान किये जाने के कथन किये गये है। उक्त रसीद पर मिसाराम के हस्ताक्षर एक रूपये के राजस्व टिकट पर किये गये है तथा भूमि के रकबे बाबत अंकन नहीं पाया जाता है। एक अन्य रसीद दिनांक 22.03.2000 जिसमें मिसराराम द्वारा वादग्रस्त भूमि भोजाराम पुत्र जोगाराम को रूपये 2,71,000/- में बेचान किये जाने के कथन किये गये। वही पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 31.03.2008 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या दो व तीन द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 227/19 रकबा 25 बीघा का बेचान प्रतिफल राशि रूपये 1,85,000/- प्राप्त कर रेस्पोडेंट संख्या एक को बेचान किया जाना पाया जाता है। विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार पंजीबद्ध विक्रय विलेख में अंकित कब्जा क्रेता को सुपुर्दगी का अंकन हो तो भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया जाना अवधारित किया जाता जात है। इसी प्रकार पंजीबद्ध विक्रय विलेख वैध होने की अवधारणा की जाती है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जहां तक अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली की अपीलाधीन आदेशिका के अवलोकन से पाया जाता है कि उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत आदेश पारित किया गया है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख की तुलना में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सादे कागज की रसीद कानूनन वादग्रस्त भूमि के हस्तांतरण के लिए वैध दस्तावेज नहीं कही जा सकती है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

वस्तुतः समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 33/2014 तुलसीदास बनाम भंवरीदेवी इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 23/30 सितंबर 2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/01/2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर